बिहार सरकार
<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

पटना-15, दिनांक.................2015

विषयः— **"उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग बिहार, पटना " को भंग किया जाना।**

सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के, सभी क्षेत्रों में सम्यक् विकास हेतु राज्य की उच्च जातियों में से कमजोर वर्गों के लोगों को चिह्नित करने, उच्च जातियों के लोगों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का समग्र अध्ययन कर, पिछड़ेपन के कारणों एवं उन्हें दूर करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने एवं इनकी शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प-संख्या-314 दिनांक 31.01.2011 द्वारा "**उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग**" का गठन किया गया था।

2. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा स्वयं के प्रयासों के अतिरिक्त "एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट"(आद्री) नामक संस्था से राज्य की उच्च जातियों का सर्वेक्षण कराते हुए एवं "आद्री" के प्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए, आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य सरकार को दिनांक 17.04.2015 को उपलब्ध करायी गयी है।

3. आयोग की अनुशंसाओं पर सम्यक् रूप से विचारण के उपरांत राज्य की उच्च जातियों के कमजोर वर्गों के छात्रों को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन-योजना के तहत प्रोत्साहन-राशि प्रदान करने एवं छात्रवृत्ति-योजना का लाभ देने का निर्णय अधिसूचित किया गया है। साथ ही आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन की अन्य अनुशंसाओं पर विचारोपरांत प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "उच्च स्तरीय समिति" का गठन किया गया है।

4. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा अपना प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ राज्य सरकार को प्राप्त कराये जाने के उपरांत इस आयोग के गठन का उद्देश्य पूरा हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा इस आयोग को भंग करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश – अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/8/2015

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–21 / उ०जा०रा०आ०-02 / 2011 सा0प्र0 12593 / पटना–15, दिनांक 25-08-2015

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, (ई-गजट शाखा) को दो प्रतियों में सी०डी०सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

25/8/2015

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–21 / उ०जा०रा०आ०-02 / 2011 सा0प्र0 12593 / पटना–15, दिनांक 25-08-2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें।

25/8/2015

सरकार के अपर सचिव।